Pollucation

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F01246 /सी-३/एन०ओ०सी०/जी-७४५/२०१२ दिनांक 20-3-12

सेवा में,

मे० मैसर्स गुलमोहर गार्डेन, (प्रमोटर्स मै० एस०वी०पी० बिल्डर्स इण्डिया लि०),
ग्राम नूरनगर, परगना लोनी,
गाजियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १८/२/२०१२ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : गुलमोहर गार्डेन, खसरा नं० ११३३,११४३,११३९ ग्राम नूरनगर, लोनी, गाजियाबाद विस्तारीकरण ११३१,११४४, नूरनगर, गाजियाबाद

(ख) उत्पादन : आवासीय परियोजना

(ग) मुख्य कच्चे माल : ....

[illegible]

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य

(ड.) प्रयुक्त ईधन : डीजल डी०जी० सेट हेतु आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा .... से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ११/११/२०११.............................. तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७– **मैसर्स गुलमोहर गार्डेन, खसरा नं० ११३३,११४३,११३६, ग्राम नूरनगर लोनी, गाजियाबाद विस्तारी खसरा नं० ११३१,११४४ ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल १३५२४८.२६** वर्गमीटर व बिल्टअप क्षेत्रफल १६५३६७.७२ वर्ग मीटर में १३६१ मकान की आवासीय व्यवसायिक सामुदायिक केन्द्र एवं अन्य सुविधाओं युक्त ग्रुप हाउसिंग की स्थापना की जाये।

८– संस्था द्वारा परियोजना से जनित कुल घरेलू उत्प्रवाह ४३५ घनमीटर/दिन हेतु कुल ५०० घनमीटर/दिन क्षमता के एस०टी०पी० की स्थापना की जाये तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई, फ्लशिंग एवं डी०जी०सेट कूलिंग हेतु प्रयुक्त किया जाये। शेष शुद्धिकृत उत्प्रवाह को अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक स्वंय की पाइप लाइन द्वारा इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल भराव की समस्या न हो।

९– संस्था द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रबन्धन बायोकम्पास्टिंग एवं रिसाइकलिंग द्वारा प्रस्तावों के अनुरूप किया जाये।

१०– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ बोर्ड मानको के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जायें।

११– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१२– संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार /स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॅारिटी से पर्यावरणीय क्लीरेन्स प्राप्त किया जाये।

१३– **संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल** का हरित पट्टिका के रूप **में विकसित करें।**

१४– संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम,१९८१ के प्राविधानों के अर्न्तगत निर्गत किया जा रहा है।

१५– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमो के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

१६– अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक जो कम हो मान्य होगी।

१७. **उद्योग बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं० एफ ०१०२०/एन०ओ०सी०/जी–७४५/२०१२ दिनांक १६/३/२०१२ के अनुसार रूपये १०,०००,०० ।रूपये दस लाख मात्र । की बैक पत्र निर्गमन की तिथि से २० दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में जमा करें, अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक कार्यवाही की जा सकती है**

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपाल[illegible] करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अना[illegible] की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उ[illegible] द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ....३१/१२/२०१२........ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की ज[illegible] अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन [illegible] एन. ओ. सी. [illegible] तद दिनांक

प्रतिलिपि

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :........गाजियाबाद........

2. उपक्षेत्र अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :........गाजियाबाद........

4. ....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– १)